

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 10/01/2018

क्रमांक एफ 10-1/2018/16 :- छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1882 की धारा 33(2)(ठ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 11(2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा मंडल के पंजीकृत/अभिदायदाता कर्मचारियों के लिए संचालित योजना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

01. निःशुल्क सायकल वितरण योजना :-

(अ) योजना का प्रावधान :-

- (i) योजना का नाम " निःशुल्क सायकल वितरण योजना 2017" होगा।
- (ii) योजना के अंतर्गत समस्त पंजीकृत संस्थानों में पिछले 03 वर्षों या उससे पूर्व से कार्यरत अभिदायदाता/पंजीकृत श्रमिकों को निम्नानुसार निःशुल्क सायकल प्रदाय की जावेगी।

क्रमांक	वर्तमान निःशुल्क सायकल प्रदाय	संशोधित निःशुल्क सायकल प्रदाय
1	अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए	समस्त वर्ग के श्रमिकों के लिए

योजना के प्रावधान में किया गया संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

- (i) पूर्व में इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके श्रमिक पुनः आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
- (v) इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को जीवनकाल में केवल एक बार योजना का हितलाभ प्राप्त होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता :-

- (i) आवेदक स्थापना का अभिदायदाता श्रमिक हो।
- (ii) आवेदन नियोक्ता के माध्यम से प्रेषित किये गये एवं अभिदायदाता/पंजीकृत श्रमिकों के आवेदन ही मान्य होंगे।
- (iii) आवेदक का मासिक आय रुपये 24,000/- से अधिक न हो।
- (iv) अभिदायदाता/पंजीकृत श्रमिक स्थापना में विगत 03 वर्षों या उससे पूर्व से कार्यरत हो।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

- (i) निर्धारित प्रारूप में आवेदन श्रम कल्याण मंडल में नियोक्ता के माध्यम से समयावधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

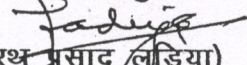
//2//

- (ii) योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाने का अधिकार कल्याण आयुक्त, छ.ग.श्रम कल्याण मंडल को होगा।

(द) विसंगति का निराकरण :-

- (i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर कल्याण आयुक्त छ.ग. श्रम कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(तीरथ प्रसाद लड़िया)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन एफ 10-1/2018/16

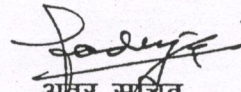
नया रायपुर, दिनांक 15/01/2018

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)।
- ✓ 4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
5. उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
6. अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
7. सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
8. कल्याण आयुक्त, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
9. नोडल अधिकारी, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
10. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय (छ0ग0)।
11. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (छ0ग0)।
12. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर (छ0ग0) की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. गार्ड फाईल।


अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग